

क्या गर्भ समापन कराना कानूनी है?



भारत में 20 सप्ताह तक गर्भसमापन कानूनी रूप से कराया जा सकता है

चिकित्सीय गर्भसमापन कानून के अन्तर्गत निम्न परिस्थितियों में महिला गर्भसमापन करवा सकती है :

- गर्भ जारी रखने से महिला की जान को खतरा हो
- महिला के शारीरिक या मानसिक र्वास्थ्य को क्षति पहुंच सकती हो
- जन्म लेने वाले शिशु को गंभीर शारीरिक या मानसिक विकलांगता का खतरा हो
- बलात्कार से गर्भवती होने पर
- विवाहिता या उसके पति द्वारा प्रयुक्त गर्भ निरोधक साधन विफल होने पर
अधिक जानकारी के लिए चिकित्सीय गर्भसमापन (संघोधित)
कानून व नियम (2002 व 2003) देखें

ग्रामीण पुनर्निर्माण संस्थान द्वारा जनहित में प्रसारित

ग्राम- बिलाई पो.- बढ़या जिला- आजमगढ़ (उ.प्र.) E-mail : gps.azm@gmail.com, gps.azm@rediffmail.com

सहयोग : Common Health